दिनांक 08.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 569/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–कृषि उत्पादों/मसाला व्यापारियों के कैश कैरियरों की रेकी कर दिनदहाड़े करोड़ों रुपये की लूट करने वाले अर्न्तजनपदीय गिरोह का मास्टरमाइंड दिनेश चन्द्र यादव अपने 05 अन्य सक्रिय साथियों सहित गिरफ्तार, लूट के रू0 48,45000/–नगद, अवैध पिस्टल व कारतूस, घटना में प्रयुक्त बलेनो कार, मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 07/08–11–2026 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा थाना गोमतीनगर क्षेत्र कमिश्नरेट लखनऊ से कैश लाने व ले जाने वाले कैरियरों को चिन्हित कर लखनऊ के थानाक्षेत्र गोमतीनगर, विभूतिखण्ड व आशियाना में लूट व डकैती करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह के 06 अभियुक्तों को भारी मात्रा में लूटी गई नगदी (कुल रू0 48,45,000/–), अवैध असलहा–कारतूस, घटना में प्रयुक्त वाहनों तथा लूटे गए प्रपत्रों के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. दिनेश चन्द्र यादव उर्फ छोटू पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण यादव, निवासी ग्राम भुजंगीपुरवा, निजामपुर, मल्हौर, थाना चिनहट, कमिश्नरेट लखनऊ। उम्र लगभग 23 वर्ष। (गैंग लीडर/मास्टरमाइंड)
2. सौरभ यादव पुत्र सूरज लाल यादव, निवासी ग्राम हांसेमऊ, थाना बीबीडी, कमिश्नरेट लखनऊ। उम्र लगभग 25 वर्ष।
3. अमन उर्फ रमन यादव पुत्र दिनेश यादव, निवासी ग्वारी, विकास खण्ड–5, थाना गोमतीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ। उम्र लगभग 25 वर्ष।
4. सौरभ दीक्षित पुत्र अर्जुन दीक्षित, निवासी ग्राम खरगापुर, एसटीपी रोड, थाना गोमतीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ। उम्र लगभग 22 वर्ष।
5. मोहित कनौजिया पुत्र कैलाश कनौजिया, निवासी 57/11, कांशीराम कालोनी, लौलाई, थाना चिनहट, लखनऊ। मूल निवासी 592छ/212, रामटोला, हरिका, तेलीबाग, थाना पीजीआई, मिश्नरेट लखनऊ। उम्र लगभग 24 वर्ष।
6. ज्ञान सिंह पुत्र प्रशांत सिंह, निवासी सीबी–110, माधव ग्रीन सिटी, थाना चिनहट, लखनऊ। मूल निवासी ग्राम केशाबे, थाना बरौनी, जनपद बेगूसराय, बिहार। उम्र लगभग 25 वर्ष।

बरामदगीः–

1– (अभियुक्तवार विवरण– दिनेश यादव से रू0 12,50,000/–सौरभ यादव से रू0 10,90,000/–, अमन यादव से रू0 11,10,000/– सौरभ दीक्षित से रू0 5,75,000/–, मोहित कनौजिया से रू0 4,20,000/–तथा ज्ञान सिंह से रू0 4,00,000/– कुल रू0 48,45,000/– मात्र

2– 01 अदद अवैध पिस्टल (0.32 बोर) मय मैगजीन एवं 02 अदद जिंदा कारतूस (0. 32 बोर)।

3– 01 अदद मारुति बलेनो कार (रजि0 नं0 UP32SA5009) लूट के रुपयों से क्रय की गई तथा घटनाओं में प्रयुक्त।

4– 01 अदद हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (रजि0 नं0 UP32RK9247) रेकी व घटनास्थल पर प्रयुक्त।

5– 07 अदद मोबाइल फोन।

6– वादी/पीड़ित पक्ष के लूटे गए प्रपत्र ड्राइविंग लाइसेंस सं0 UP3220220005332 (पटेल मितेश कुमार),

7– पहचान पत्र (पीड़ित जयमिन पटेल) तथा ड्राइविंग लाइसेंस सं0 GJ0220220010554

8– अभियुक्त मोहित कनौजिया का पैन कार्ड व निर्वाचन कार्ड।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

सहारा पुल के नीचे क्रिकेट एकेडमी के गेट के पास, थाना गोमतीनगर क्षेत्र, कमिश्नरेट लखनऊ। 08–11–2026, समय 01:50 बजे (मध्य रात्रि)।

विगत कुछ महीनों से लखनऊ कमिश्नरेट के विभिन्न थानाक्षेत्रों में गुजरात से जुड़े मसाला एवं कैश ट्रांसफर कारोबारियों के कैरियरों को चिन्हित कर चार पहिया वाहन से टक्कर मारकर, लोहे की रॉड–डंडों से मारपीट व पिस्टल का भय दिखाकर दिनदहाड़े नकदी लूटने की सनसनीखेज घटनाएं घटित हो रहीं थी, जिसके सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री दीपक कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री हेमन्त भूषण सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ मुख्यालय टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 07–11–2026 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कैश कैरियरों को निशाना बनाने वाले गिरोह के सदस्य पूर्व में लूटी गई धनराशि को दीपावली पर्व के दृष्टिगत आपस में बंटवारा करने हेतु सफेद रंग की बलेनो कार व मोटरसाइकिल से थाना गोमतीनगर क्षेत्र में एकत्रित

हो रहे हैं तथा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। मुखबिर से प्राप्त उक्त सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए निरीक्षक हेमन्त भूषण सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 तेज बहादुर सिंह, उ0नि0 हरीश सिंह चौहान, मु0आरक्षीगण विनोद कुमार यादव, कृष्णकांत शुक्ला, पवन सिंह बिसेन, सरताज अहमद, देवेन्द्र सिंह, सूरज सिंह, इन्द्र प्रताप सिंह, आलोक रंजन, सुनील कुमार यादव, सिंह व मु0आ0 कमाण्डो संजीव, मु0आ0 कमाण्डो रवि कुमार, उ0नि0चालक राकेश मिश्रा, आ0 चालक सुरेन्द्र सिंह, मु0आ0 चालक भोला यादव की टीमे गठित कर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। मुखबिर की सटीक निशानदेही पर बलेनो कार व मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा नकदी से भरे बैगों का आदान–प्रदान करते समय आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मौके से 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं का अनावरण हुआः–

1– **विराटखण्ड में 45 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट–** दि0 03–07–2026 को वादी श्री पटेल मीतेश अपने साथी पटेल जैमिन के साथ व्यापारिक प्रयोजन हेतु 45,00,000/– (पैंतालीस लाख) रुपये नगद लेकर स्कूटी (रजि0 नं0 UP32LJ9937) से जा रहे थे। मुखबिर अमृत लाल पाल की सटीक सूचना पर मोहित कनौजिया ने अपनी मोटरसाइकिल से रेकी की। विराटखण्ड पहुंचते ही बिना नंबर प्लेट लगी सफेद सेलेरियो कार से अभियुक्त सौरभ यादव ने स्कूटी में टक्कर मारी। टक्कर से वादी व उनका साथी सड़क पर गिरे, तभी कार से उतरे अभियुक्तों ने गाली–गलौज करते हुए लोहे की रॉड व डंडों से उन्हें चारों तरफ से घेरकर पीटा। अभियुक्त दिनेश यादव ने पिस्टल दिखाकर गोली मारने की धमकी दी और 45 लाख रुपये की नकदी, वादी का ड्राइविंग लाइसेंस व जैमिन का पहचान पत्र से भरा बैग लूटकर भाग गए। इस घटना के सम्बन्ध में **मु0अ0सं0 491/2026,** धारा 115(2), 352, 351(3), 126(2), 310(2), 61(2), 317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना गोमतीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ पर पंजीकृत हुआ।

2– **विराजखण्ड सब्जी मण्डी के पास 22 लाख रुपये की लूट** – दि0 02–05–2026 को वादी भाविक परमार अपने साथी परेश एस0 बराड के साथ मसाला व कृषि उत्पादों के व्यापार हेतु 22,00,000/– (बाईस लाख) रुपये नगद बैग में लेकर स्कूटी (रजि0 नं0 UP32LJ9937) से जा रहे थे। अभियुक्त मोहित कनौजिया द्वारा ठिकाने से रेकी कर सूचना दी गई। जैसे ही वादी विराजखण्ड सब्जी मण्डी के पास पहुंचे, पीछे से आ रही सफेद रंग की सेलेरियो कार से चालक सौरभ यादव ने स्कूटी में जोरदार टक्कर

मार दी। स्कूटी से दोनों व्यक्तियों के सड़क पर गिरते ही कार से दिनेश चन्द्र यादव, अमन उर्फ रमन यादव, सौरभ दीक्षित व ज्ञान सिंह उतरे। दिनेश चन्द्र यादव ने पिस्टल तानकर जान से मारने का भय दिखाया और अन्य अभियुक्तों ने लोहे की रॉड व डंडों से दोनों को बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया तथा 22 लाख रुपये नगद व आधार कार्ड की छायाप्रति से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इस घटना के सम्बन्ध में **मु0अ0सं0 434/2026,** धारा 310(2), 351(3) बीएनएस, थाना विभूतिखण्ड, कमिश्नरेट लखनऊ पर पंजीकृत हुआ है।

3– **सेक्टर जी, आशियाना में लगभग 60 लाख रुपये की दुस्साहसिक लूट**– दिनांक 24–10–2026 को सायं 18:00 बजे वादी प्रग्नेश पुत्र अमृत लाल, अपने साथी रावल चिन्तल के साथ गुजरात के कारोबारी कमलेश भाई की क्रेटा कार (रजि0 नं0 GJ01WM0915) से भारी मात्रा में नगदी लेकर लखनऊ आए थे और सेक्टर जी, आशियाना में डिलीवरी के निर्देश का इंतजार कर रहे थे। इसकी सटीक जानकारी अमृत लाल पाल ने गिरोह को दी। गिरोह के सदस्यों (दिनेश, सौरभ यादव आदि बलेनो कार से एवं मोहित कनौजिया व अन्य साथी मोटरसाइकिल से) ने मौके पर पहुंचकर क्रेटा कार की डिग्गी से नकदी से भरा पूरा बैग झपट लिया और विरोध करने पर असलहा दिखाकर व मारपीट कर फरार हो गए, जिसके सम्बन्ध में **मु0अ0सं0 0281/2026,** धारा 309(4) बीएनएस, थाना आशियाना, कमिश्नरेट लखनऊ पर पंजीकृत है।

4– **मेयो अस्पताल के पास लाखों रुपये की लूट**– दि0 03–09–2026 को अमृत लाल पाल द्वारा पुनः गुजरात के हवाला/कैश कारोबारियों के कैरियर की सूचना दी गई। अभियुक्त मोहित कनौजिया की रेकी के आधार पर मेयो अस्पताल के पास अभियुक्त सौरभ यादव ने नई बलेनो कार से स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी। स्कूटी गिरते ही अभियुक्तों ने लाठी, डंडों व लोहे की रॉड से हमला किया तथा पिस्टल का भय दिखाकर रुपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।

उपरोक्त घटनाओं के अलावा इन अभियुक्तों ने लखनऊ के दयाल चौराहा, ग्वारी चौराहा तथा शंकर चौराहा पर भी कैश ले जा रहे कैरियरों की रेकी कर 4 से 5 बार लूट का प्रयास किया था, किंतु पुलिस की गश्त, चौराहों पर अत्यधिक भीड़भाड़ व सतर्कता के चलते वे उन प्रयासों में सफल नहीं हो सके थे।

अपराध करने का तरीका (Modus Operandi) –

विस्तृत पूछताछ में मास्टरमाइंड दिनेश चन्द्र यादव व सौरभ यादव ने बताया कि उनके संपर्क में अमृत लाल पाल नामक व्यक्ति आया था, जो पूर्व से गुजरात व लखनऊ के बीच कैश लाने व लेजाने वाले कैरियरों के ठिकानों, उनकी गतिविधियों व

स्कूटी आदि के नंबरों की सटीक जानकारी रखता था। अमृत लाल पाल ने गिरोह को विश्वास दिलाया था कि बड़ी रकम गैर–आधिकारिक होने के कारण व्यापारी पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे, न ही शासन–प्रशासन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगा, साथियों द्वारा उसकी बात का विश्वास करके घटना के लिए तैयार होने पर अपना कमीशन निश्चित कर कैश ले जाने वाले कैरियरों की मुखबिरी का सौदा तय किया। योजना के तहत अभियुक्त मोहित कनौजिया जयपुरिया स्कूल के पीछे स्थित कारोबारी के ठिकाने पर बिना नंबर की बाइक से रेकी करता था। जैसे ही कैश कैरियर स्कूटी से निकलता, वह गिरोह के अन्य सदस्यों (दिनेश, सौरभ यादव, अमन, सौरभ दीक्षित, ज्ञान सिंह) को मोबाइल से सूचना देकर पीछा करता था। इसके उपरांत सुनसान स्थान मिलते ही सौरभ यादव अपनी कार (पूर्व में सेलेरियो व बाद में लूटे गए रुपयों से खरीदी गई बलेनो) से स्कूटी में जोरदार टक्कर मारकर गिरा देता था। तत्पश्चात दिनेश यादव पिस्टल तान देता था और बाकी साथी लोहे की रॉड व डंडों से पीटकर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते थे। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दि0 02–05–2026 को विराजखण्ड में 22 लाख रुपये, दिनांक 03–07–2026 को विराट मार्केट में 45 लाख रुपये, दिनांक 03–09–2026 को मेयो अस्पताल के पास 80 लाख रुपये तथा दिनांक 24–10–2026 को आशियाना क्षेत्र में 1.55 करोड़ रुपये की लूट को अंजाम दिया था। बरामद रू0 48,45,000/– उपरोक्त लूट की रकम में से बचे हुए हिस्से थे, जिन्हें वे बांटने के लिए एकत्रित हुए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना गोमतीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ में पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0 491/2026 के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल मे लायी जा रही है।

<u>जनपद मथुरा/थाना छाता</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 52 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 07.11.2026 को थाना छाता व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर संस्कृति यूनिवर्सिटी, फ्लाई ओवर एनएच–19, हाईवे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो

बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राहुल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया एवं एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 52 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.11.2026 को थाना छाता क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बमदाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छाता पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसकी विरूद्ध जनपद मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना छाता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी यमुना रोड़ थाना छायसा जनपद फरीदाबाद हरियाणा।

बरामदगी

1–लूट के 52 हजार 500 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

———————